13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, को सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई थीं या जिनके किए जाने का लोप किया गया था, परिषद् की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को जिसने उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन सम्मिश्र उदग्रहण का विकल्प नहीं दिया था, को व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है जो उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (क) में यथाविनिर्दिष्ट पूर्ति के समय मालों की जावक पूर्ति पर जिसके अंतर्गत वह स्थितियां भी हैं जिन पर उक्त अधिनियम की धारा 14 के उपबंध लागू होते हैं, केन्द्रीय कर का संदाय करेंगे और तदनुसार उक्त अधिनियम के अध्याय 9 और तद्धीन बनाए गए नियमों में यथावर्णित ब्यौरे और विवरणियां प्रस्तुत करेंगे तथा ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग द्वारा कर के संदाय के लिए विहित अविध वह होगी जो उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट है।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी(पीटी)]

डा. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्या 40/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 1254(अ) तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2017

No. 66/2017 - Central Tax

G.S.R.1422 (E).— In exercise of the powers conferred by Section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act) and in supercession of notification No. 40/2017-Central Tax, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R.1254(E), dated the 13th October, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supercession, the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered person who did not opt for the composition levy under Section 10 of the said Act as the class of persons who shall pay the central tax on the outward supply of goods at the time of supply as specified in clause (a) of sub-section (2) of Section 12 of the said Act including in the situations attracting the provisions of Section 14 of the said Act, and shall accordingly furnish the details and returns as mentioned in Chapter IX of the said Act and the rules made thereunder and the period prescribed for the payment of tax by such class of registered persons shall be such as specified in the said Act.

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt)]

Dr.SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

Note: - The principal notification No.40/2017-Central Tax, dated the 13th October, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1254(E), dated the 13th October, 2017.